

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 383/2024

दायर दिनांक 29.11.2024

वादी

- मुन्नी पत्नी अशोक बलारा जाति जाट निवासी मौलासर तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

प्रतिवादीगण

- चेनाराम दत्तक पुत्र नानूराम
- प्रेमाराम पुत्र गोविन्दराम
- भंवराराम पुत्र मोहनराम
- भोमाराम पुत्र मोहनराम समरत जाति जाट निवासी मौलासर तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन राज0
- मेनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा डीडवाना
- मेनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा मौलासर
- मेनेजर युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर
- तहसीलदार मौलासर।

बनाम

दावा बाबत

बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित:-

- श्री हरफुलराव वकील वादी।

-:: अन्तिम निर्णय ::-

दिनांक 08.07.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा मौलासर पटवार हल्का मौलासर भू-अभिलेखसरा सं0 निरीक्षण क्षेत्र मौलासर की सरदह में खेत खसरा सं0 333मी. रकबा 47 बीघा 05 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 796 रकबा 0.4900 हैक्टे0, खसरा सं0 797 रकबा 0.1900 हैक्टे0 गैर मु0 रास्ता, खसरा सं0 798 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 999 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 800 रकबा 6.8200 हैक्टे0, खसरा सं0 801 रकबा 0.1100 हैक्टे0 कुल रकबा 7.6500 हैक्टे0 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 06.03.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक: राजस्व/2025/464 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: राजस्व/2025/464 दिनांक 25.04.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

मौजा मौलासर पटवार हल्का मौलासर भू-अभिलेखसरा सं0 निरीक्षण क्षेत्र मौलासर की सरदह में खेत खसरा सं0 333मी. रकबा 47 बीघा 05 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 796 रकबा 0.4900 हैक्टे0, खसरा सं0 797 रकबा 0.1900 हैक्टे0 गैर मु0 रास्ता, खसरा सं0 798 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 999 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 800 रकबा 6.8200 हैक्टे0, खसरा सं0 801 रकबा 0.1100 हैक्टे0 कुल रकबा 7.6500 हैक्टे0 की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: राजस्व/2025/464 दिनांक 25.

विकास
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

04.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक- पत्रांक: राजस्व/2025/464 दिनांक 25.04.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wlas
(विकास ~~उपखण्ड~~ मंत्री अधी. S.)
उपखण्ड ~~डीडवाना~~
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wlas
(विकास ~~उपखण्ड~~ मंत्री अधी. S.)
उपखण्ड ~~डीडवाना~~
डीडवाना